संख्या:50/2020/1986/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांराबंकी/बुलन्दशहर/फतेहपुर/फिरोजाबाद/हरदोई/झांसी/लखीमपुर-खीरी/मथुरा/रामपुर/
सहारनपुर एवं सीतापुर।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

विषय: फसल अवशेष प्रबंधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त इमेजरी के अनुसार प्राप्त आंकडों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पाया गया कि आपके जनपदों में गत वर्ष की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में बढोत्तरी हुई है।

(दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 का तुलनात्मक विवरण)

क्रमांक	जनपद का नाम	2019 में फसल अवशेष जलने की घटनायें	2020 में फसल अवशेष जलने की घटनायें
1	बाराबंकी	05	12
2	बुलन्दशहर	01	13
3	फतेहपुर	01	14
4	फिरोजाबाद	01	09
5	हरदोई	02	15
6	झांसी	00	11
7	लखीमपुर खीरी	01	35
8	मथुरा	03	28
9	रामपुर	00	30
10	सहारनपुर	12	25
11	सीतापुर	03	12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस सम्बन्ध में दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 तक आख्या उपलब्ध करायें कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी आप द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाये गये तथा गत वर्ष की तुलना में आपके जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं में बढोत्तरी क्यों हुई?

4. उक्त के अतिरिक्त पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे शासन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।